संख्या एफ॰1/23/80-स्थापना (वेतन-1)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5-8-1981

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-- मूल नियम 35 के अधीन स्थानापन्न वेतन को सीमित किए जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

अधो मूल नियम 35 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार किसी स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी का वेतन सामान्य नियमों के अधीन अनुज्ञेय राशि से कम निर्धारित कर सकती है। विद्यमान नियमों के अधीन मूल नियम 35 के उपर्युक्त उपबन्ध प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न द्वारा नियुक्तियों के मामलों में ही लागू होते हैं। हाल ही में एक प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या मूल नियम 35 के उपर्युक्त उपबन्ध संवर्ग के भीतर पदोन्नतियों के मामलों में भी लागू किए जाएंगे।

2. उक्त मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया कि मूल नियम 35 के अधीन स्थानापन्न वेतन का सीमित किया जाना संवर्ग में उन नियमित पदोन्नतियों के संबंध में लागू नहीं होना चाहिए जहाँ कर्मचारी पदोन्नति के लिए ड्यू है, विचार के क्षेत्र में आता है तथा पदोन्नति के लिए सभी निर्धारित अर्हताएं पूरी करता है।

3. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

एस॰ हरिहरन

(एस॰ हरिहरन)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग मानक सूची के अनुसार।